न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— नलिनी कठोतिया, आई.ए.एस.

अपील संख्याः— 23/2013 (GCMS No. 2013/00037) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. शिवराम
2. शिवसिंह
3. राजेन्द्रसिंह
4. बवलू उर्फ बबली
5. महेन्द्रसिंह

पिसरान श्यामसिंह अकवाम गूजर निवासी सेवर कला तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. रामसिंह पुत्र जौहरी जाति गूजर निवासी सेवर कला तहसील व जिला भरतपुर।

.....असल रेस्पोडेन्ट

2. लाखनसिंह पुत्र जौहरी (मृतक)
2/1 मुस. उगन्ती देवी पत्नी लाखनसिंह
2/2 गजेन्द्र
2/3 भूरा
2/4 दारासिंह
2/5 कमल
2/6 निरंजन
2/7 मनोज

पिसरान लाखनसिंह

2/8 ललिता पुत्री लाखनसिंह
2/9 कुसमादेवी पुत्री लाखनसिंह

जाति गूजर निवासी सेवर कला तहसील व जिला भरतपुर।

3. मुस. अमरी वेवा शिवजी जाति गूजर निवासी सेवर कला तहसील व जिला भरतपुर।
4. जीतू
5. अवतारसिंह

पुत्रगण शिवजी अकवाम गूजर निवासी सेवर कला नावालिगान व विलायत माता खुद मुस. अमरी तहसील व जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रेस्पोंडेन्टान

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 01.08.1991 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट।

उपस्थितिः—

1. अपीलांट की ओर से श्री राजेश सोगरवाल, वकील।
2. रेस्पोंडेन्टस संख्या 1 की ओर से श्री दिनेश चन्द शर्मा, वकील।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

नि र्ण य **दिनांक : 17.02.2026**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 01.08.1991 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि रेस्पो/प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया कि प्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 2231 रकवा 1.08, 2230 रकवा 0.16, 2229 रकवा 0.10 एवं 2228 रकवा 0.15 किता 4 रकवा 3 बीघा 9 विस्वा वाके ग्राम सेवर के खातेदार काश्तकार हैं। सैटलमेंट विभाग ने प्रार्थी के उक्त रकवा का एक ही नम्बर 1170 रकवा 0.49 एयर का बना दिया जिसमें हमारा रकवा 6–7 एयर रकवा मौके पर कम कर दिया गया है जिससे हमारी खातेदारी की आराजी कागजात पटवार में कम हो गई है। अतः गतानुसार सही दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अपीलाधीन आदेश से स्वीकार कर लिया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से श्री दिनेश चन्द शर्मा अधिवक्ता उपस्थित एवं शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना अनुपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी पर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दौराने अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया है इसलिऐ इस आदेश की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी। सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 11.01.2013 को रैस्पोडेन्ट के द्वारा धमकी दिये जाने पर हुई। तदोपरान्त तत्काल दिनांक 11.01.2013 को प्रार्थना पत्र नकल हेतु पेश किया तथा दिनांक 15.01.2013 को नकल प्राप्त हुई। इसलिए तारीख जानकारी से अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। दफा–5 मय शपथ पत्र संलग्न है। प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी पर कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय तहत में जानबूझकर प्रार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि रिपोर्ट पटवारी से यह स्पष्ट विदित था कि विवादित साविक आराजी खसरा नम्बर 1170 एवं 1175/1 निर्मित किये गये हैं, के सह खातेदार के पिता व असल रेस्पो व तरतीवी रेस्पो. के पिता व पति वहिस्सा बराबर के हिस्सेदार है। इन समस्त तथ्यों को छुपाते हुये एवं अदालत तहत को धोखा देते हुए विवादित आराजी खसरानम्बर 1175/1 की प्रविष्टियां अकेले अपने नाम करा ली हैं। जिससे प्रार्थीगण के अधिकारों पर विपरीत असर पड रहा है। इसलिये अपीलान्ट के इस वादग्रस्त आराजी में हित समाहित है और अपीलान्ट इस आदेश से परिवेदित है।

अपीलाधीन आदेश रिकार्ड के विपरीत है जबकि साविक रिकार्ड व हाल रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलीदार में यह स्पष्ट लिखा है कि साविक आराजी खसरा नम्बर 2228, 2229, 2230 एवं 2231 कुल किता 3 बीघा 9 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 1170 रकवा 0.49 ऐयर रकवा बन्दोवस्त विभाग ने दर्शाया है जो साविक

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

रकवा 0.06 ऐयर कम है जिसकी पूर्ति के लिए सभी सहखातेदारों की ओर से असल रेस्पो. रामसिंह ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। राजस्व अभिलेख में एवं हल्का पटवारी रिपोर्ट में उकत साविक एवं हाल नम्बरान को संयुक्त खातेदारी के खातेदार मुस. फूलो वेवा जौहरी, श्यामसिंह, रामसिंह, लाखनसिंह व शिवसिंह खातेदार दर्ज हैं। जिनमें से अब मुस. फूलो, श्यामसिंह का देहान्त हो चुका है। मृतक श्यामसिंह के वारिसान अपीलार्थीगण है तथा मुस. फूलो के वारिसान अपीलार्थीण एवं रेस्पो. हैं। उक्त साविक आराजी एवं हाल आराजी के सम्पूर्ण हिस्से पर मुताबिक हिस्सा काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। तहत न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से हाल विवादित आराजी ख.नं. 1175/1 रकवा 0.06 का अमल अकेले असल रेस्पो. के नाम दर्ज करने का पारित किया है जो कतई गलत है क्योंकि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1175/1 रकवा 0.06 ऐयर अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्टान की उक्त साविक आराजी के रकवा की पूर्ति करने हेतु ही बनाया है। इसलिए निर्मित खसरा नम्बर 1175/1 की प्रविष्टियां अपीलार्थीगण वहिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा एवं असल रेस्पो. संख्या 1 रामसिंह 1/4 तरतीवी रेस्पो संख्या 2 लाखन 1/4 हिस्सा, एवं तरतीवी रेस्पो संख्या 3 लगा. 5 वहिस्सा बराबर 1/4 दर्ज करने के आदेश दिये जाने चाहिए थे। तहत अदालत ने हितबद्ध पक्षकार को न सुना जाकर प्राकृति न्याय के सिद्धान्तोंकी अवहेलना की है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जो अकेले असल रेस्पो. संख्या 1 रामसिंह उर्फ राम के नाम दर्ज करने का दिया है उस हद तक निरस्त कर विवादित आराजी हाल खसा नम्बर 1175/1 रकवा 0.06 एयर की प्रविष्टियां अपीलार्थीगण, रेस्पो. व तरतीवी रेस्पो. के नाम वहिस्सा बराबर 1/4, 1/4 दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

वकील रेस्पोंडेन्टस संख्या 1 द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट द्वारा लगभग 22 वर्ष बाद अपील पेश की गई है। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब का कोई औचित्यपूर्ण कारण अंकित नहीं किया गया है जबकि विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रतिदिन का औचित्यपूर्ण कारण अंकित करना होता है। सहखातेदारान द्वारा पूर्व में मनवट कर लिया गया। प्रार्थी आराजी 2231 रकवा 1.08, 2230 रकवा 0.16, 2229 रकवा 0.10 एवं 2228 रकवा 0.15 किता 4 रकवा 3 बीघा 9 विस्वा वाके ग्राम सेवर के खातेदार काश्तकार हैं। सैटलमेंट विभाग ने प्रार्थी के उक्त रकवा का एक ही नम्बर 1170 रकवा 0.49 एयर का बना दिया जिसमें रकवा 6 एयर मौके पर कम कर दिया गया है जिससे हमारी खातेदारी की आराजी कागजात पटवार में कम है। पटवारी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है कि गत खसरा नम्बर 2228, 2229, 2230,2231 कुल रकवा 3 बीघा 9 विस्वा से हाल आराजी ख.नं. 1170 रकवा 0.49 ऐयर बनाया गया है जो गत के मुकाबले 0.06 एयर कम है जिसकी पूर्ति ख.नं. 1175 रकवा 0.29 से की जानी है क्योंकि यह गत ख.नं. 2251 रकवा 16 विस्वा से बनाया है जो गत के मुकाबले 0.16 ऐयर अधिक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जॉच उपरान्त की आदेश पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट वकील द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत यथा

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

आरआरडी 1993 पेज 44 व 232, आरबीजे 2010 पेज 289 (एस.सी.), आरबीजे 2024 पेज 396 (एस.सी.) एवं आरबीजे 2021 पेज 279 (डी.बी.) उद्धृत किये।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से जाहिर है कि रैस्पो0 रामसिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट उपखण्डाधिकारी के समक्ष वास्ते रकबा दुरूस्ती इस आशय का पेश किया कि गत ख0नं0 2231/1.08, 2230/0.16, 2229/0.10, 2228/0.15 किता–4 कुल रकबा 3 बीघा 9 विस्वा से नया नम्बर 1170 रकबा 0.49 बनाया गया । सैटिलमेन्ट विभाग ने 6 ऐयर रकबा गलती से मौके के मुताबिक कम कर दिया गया। तहत अदालत ने आदेश दिनांक 1.8.1991 से रामसिंह के खाते में खसरा नम्बर 1175/0.29 में से 6 ऐयर रकबा बढा नम्बर डालकर बढाये जाने के आदेश दिये गये है। अपीलान्टस का कहना है कि 2231/1.08, 2230/0.16, 2229/0.10, 2228/0.15 किता–4 कुल रकबा 3 बीघा 9 में राजस्व अभिलेख में एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में उक्त साविक नम्बरान को संयुक्त खातेदारी के खातेदार मु0 फूलो, रामसिंह, श्यामसिंह व शिवसिंह खातेदार दर्ज है। इसलिऐ दरूस्ती आदेश दिनांक 1.8.1991 में सभी खातेदारान के नाम आने चाहिऐ थे।

प्रकरण में प्रथमतः प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। यह अपील करीब 22 साल बाद पेश की गई है जो अक्षम्य बिलम्ब है इतने लम्बे अर्से तक जानकारी नहीं होने का तथ्य विश्वास योग्य नहीं है तब जबकि अपीलान्टस अपने आप को इस आराजी में सहखातेदारान बताते हुये आये है। दफा–5 प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया है जिससे उनके जानकारी न होने का तथ्य प्रमाणित माना जा सके। धारा 136 एल आर एक्ट की कार्यवाही में केवल ऐसी लिपिकीय त्रुटियां जो उभयपक्ष स्वीकार करें दुरूस्त की जा सकती है। खातेदारी से संबधित चाहा गया वांछित अनुतोष 136 एल आर एक्ट की कार्यवाही की अपील के अंतर्गत कवर किया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में 136 एलआरएक्ट की समरी प्रोसिडिंग्स की अपील में किसी खातेदार के खातेदारी अधिकारों को प्रदान किया जाना अथवा समाप्त किया जाना उचित नहीं रहता है। वांछित स्वतत्व व अधिकारों के संबध में नियमित वाद दायर कर ही अनुतोष प्राप्त किया जाना न्यायिक रहता है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज योग्य रहती है। अपीलान्ट अपने हक–हकूक सक्षम अदालत में नियमित दावे के माध्यम से तय कराने हेतु स्वतन्त्र हैं।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.8.1991 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नलिनी कठोतिया)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर